

कार्यालय-अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
आदेशांक वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/ /2018, लखनऊ, दिनांक : 19 मार्च- 2018,

-:: आदेश:-

उत्तर प्रदेश वैट नियमावली 2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन माह
मार्च-2018 का युगल पीठ गठन कार्यक्रम निम्नवत निर्गत किया जाता है :-

| कं0सं 01 | बैठने का स्थान 02 | कार्य आवंटन 03 | कार्य- अवधि 04 | युगल पीठ में सम्मिलित होने वाले सदस्य 05 |
|-------------|----------------------|-------------------|-------------------|---|
| 1- | मुख्यालय | पीठ-1, 2 व 3 लखनऊ | 20.3.18 | अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण (न्याय0) व पीठ-1 लखनऊ (न्या0) |

६०/—

(राजेन्द्र कुमार-IV)

एच0जे0एस0


अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन: वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/505/2018, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-कमिश्नर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 2-मुन्सरिम/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर) मुख्यालय।
- 3-सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव, द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,


प्रभारी निबन्धक,
वाणिज्यकर अधिकरण
उत्तर प्रदेश लखनऊ।